710111)16

माननीय हरमोहिंदर कौर संधू, जे. के समक्ष।

जगबीर सिंह-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी।

सीआरएमएल. विविध. 1993 का क्रमांक 396-एम.

11 फ़रवरी 1994.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1974 का एच) - धारा 482 - रद्द करना - याचिकाकर्ता पर धारा 302/34 और 201 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया - लोक अभियोजक टी. पी. को मुख्य परीक्षा की अनुमति दी गई।एस. डी. एम. द्वारा आयोजित एक जांच के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के साक्ष्य- आदेश को चुनौती दी गई- माना गया कि 164 सीआरपीसी के अनुसार अन्य सभी स्वीकारोक्ति साक्ष्य में अस्वीकार्य है।

माना गया कि किसी आरोपी का इकबालिया बयान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में दिए गए तरीके से दर्ज किया जा सकता है और यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था कि आरोपी का ऐसा कोई बयान दर्ज किया गया था। सिद्ध कराया जाए. जांच शुरू होने के बाद सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार दर्ज की गई कोई भी स्वीकारोक्ति साक्ष्य में अस्वीकार्य है। जहां किसी निश्चित कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, वहां उस कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के अन्य तरीके आवश्यक रूप से निषिद्ध हैं। भले ही जांच कार्यवाही के दौरान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा

कुछ स्वीकारोक्ति दर्ज की गई थी जो साक्ष्य में अस्वीकार्य थी और पूछताछ रिकॉर्ड को उस स्वीकारोक्ति को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाना चाहिए था। अतः आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(पैरा 4)

याचिकाकर्ता के वकील बलदेव सिंह।

एस. एस. गिल, ए. एएजी. हरियाणा, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता पी. वी. संतोषी द्वारा सहायता प्राप्त।

न्याय

हरमोहिंदर कौर संधू, जे.

A. दया नंद पुत्र जुग लाल निवासी गांव मीठा थल, जिला भिवानी के बयान पर एफ.आई.आर. नंबर 211 दिनांक 19 सितम्बर 1991 को पुलिस थाना सदर, भिवानी में धारा 364 सहपठित धारा 34 आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान मनोज कुमार का शव बरामद किया गया और अपराध धारा 302 आईपीसी में परिवर्तित कर दिया गया। जांच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के भाई अनटाइड सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया. उन पर आईपीसी की धारा 302/34 और 201 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया और 7 गवाहों से पूछताछ की गई। 1 मई, 1992 को दया नंद शिकायतकर्ता का मुख्य परीक्षण दर्ज किया गया था, जब शिकायतकर्ता के वकील के कहने पर मामला स्थगित कर दिया गया था, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, भिवानी से एक जांच फ़ाइल को बुलाने के लिए एक आवेदन दायर करना

चाहता था। इसके बाद, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, भिवानी द्वारा की गई जांच के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कबूलनामे के सबूत पेश करने की अनुमति के लिए सरकारी वकील द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन का विरोध किया गया लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश, भिवानी ने 20 अक्टूबर, 1992 को आदेश पारित कर जांच के रिकॉर्ड को तलब किया। याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके उपरोक्त आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

B. याचिका में आरोप लगाया गया था कि जांच फ़ाइल को तलब करने और अभियोजन पक्ष को जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों के संबंध में गवाहों की जांच और जिरह करने की अनुमति देने वाला आदेश अवैध था क्योंकि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की खंड 6 के प्रावधानों को देखते हुए बयानों पर गौर नहीं किया जा सका था। अनुमंडल मजिस्ट्रेट, भिवानी द्वारा की गई जाँच एक तथ्य-सूचक जाँच थी जो जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक आयोग द्वारा की गई जाँच के समान थी और उक्त अधिनियम के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू थे।। पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए बयान स्वीकार्य नहीं थे और आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान उन पर विचार नहीं किया जा सकता था।

C. प्रतिवादी द्वारा दायर रिटर्न में यह आरोप लगाया गया था कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, भिवानी द्वारा की गई जांच, डिप्टी कमिश्नर, भिवानी के कहने पर की गई थी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच आयोग के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। इसलिए, उस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं थे। मैंने पक्षों के वकील को सुना है।

D. इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के दौरान

पुलिस की ओर से गड़बड़ी के आरोप उपायुक्त, भिवानी के समक्ष थे और उपायुक्त ने उपमंडल मजिस्ट्रेट, भिवानी को इसकी जांच करने का निर्देश दिया था। यह केवल एक तथ्य खोजने वाली जांच थी और जांच आयोग अधिनियम, 1952 की खंड 6 के प्रावधान तब तक लागू नहीं थे जब तक उस जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों पर विचार किया गया था। जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकारी वकील द्वारा किए गए आवेदन की प्रति इस फाइल के रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि आरोपी द्वारा दर्ज किए गए कबूलनामे के संबंध में सबूत पेश करने की अनुमति के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दिया गया था। जांच कार्यवाही के दौरान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश ने जांच कार्यवाही के रिकॉर्ड को तलब किया और पाया कि बाद में जांच के संबंध में जिरह के उद्देश्य से गवाहों को बुलाया जाएगा। यह आदेश उचित नहीं है. किसी अभियुक्त का इकबालिया बयान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में दिए गए तरीके से दर्ज किया जा सकता है और यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था कि आरोपी की ऐसी किसी भी बयानबाजी को साबित किया जाए। जांच शुरू होने के बाद सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार दर्ज की गई कोई भी स्वीकारोक्ति साक्ष्य में अस्वीकार्य है। जहां किसी निश्चित कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, वहां उस कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के अन्य तरीके आवश्यक रूप से निषिद्ध हैं। भले ही जांच कार्यवाही के दौरान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ स्वीकारोक्ति दर्ज की गई थी जो साक्ष्य में अस्वीकार्य थी और पूछताछ रिकॉर्ड को उस स्वीकारोक्ति को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाना चाहिए था। अतः आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

E. ऊपर दर्ज कारणों से, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और सत्र न्यायाधीश, भिवानी के 20 नवंबर, 1992 के आदेश को रद्द करता हूं। अदालत कानून के अनुसार मामले का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगी।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा